सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 27/2016

1. हमीर कौर पत्नी प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी 4 डी.डी. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर
2. परमजीत कौर पुत्री प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी 4 डी.डी. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर
3. सुखजीत कौर पुत्री प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी 4 डी.डी. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान
2. मखन सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
3. गुरदीप सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

रेस्पोडेन्टस

उपस्थिति :

1.श्री कुलवन्त सिंह संधू ,अधिवक्ता, अपीलार्थी

आदेश **दिनांक :–01.06.2018**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि इन्तकाल जेर अपील के अवलोकन मात्र से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यह गलत किया गया है तथा किसी प्रकार से कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। क्योंकि इन्तकाल के खाना नम्बर 14 में किसी प्रकार से किसी आदेश जिसके आधार पर इन्तकाल किया गया हो के बारे में कुछ अंकित नहीं किया गया है जबकि कानूनी प्रक्रिया अपनाए जाने पर सर्वप्रथम मृतक प्रीतम सिंह के वारिसान अपीलान्टस को शोकाज नोटिस दिया जाकर बुलाया जाना, सुना जाना व साक्ष्य आदि लेकर पहले इन्तकाल करने का आदेश पारित करना तथा उसके बाद ही इन्तकाल दर्ज करने पर तस्दीक किया जा सकता है। मगर प्रस्तुत मामले में पटवारी ने इन्तकाल दिनांक 20.11.1991 को दर्ज किया व आई.एल.आर. ने दिनांक 25.11.1991 को मिलान करने का दर्ज किया व दिनांक 04.12.1991 को तस्दीक कर दिया गया इससे ही यह स्पष्ट है कि कोई आपत्ति नोटिस जारी नहीं किया गया ना किसी प्रकार से नोटिस की तामील हुई तथा ना ही किसी समचार पत्र में नोटिस आपत्ति प्रकाशित करवाया गया। अतः कोई भी कानूनी व न्यायिक प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है। अदालत मातहत ने इन्तकाल नियमों की भी पालना नहीं की क्योंकि इन्तकाल नियमों के अनुसार भी यह आवश्यक था कि मृतक व्यक्ति जिसकी सम्पति का इन्तकाल किसी कथित वसीयत के आधार पर किया जाता है तो भी मृतक के समस्त वारिसान के बारे में पटवारी हल्का से तस्दीक मंगवा कर उनको नोटिस जारी करना व उनको कथित वसीयत के बारे में सुनकर ही आदेश पारित किया जा सकता है मगर प्रस्तुत मामले में ऐसा भी नहीं किया गया है। इन्तकाल करने से पूर्व लैण्ड रिकॉर्ड रूलस के आदेशात्मक

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

प्रावधानों की भी पालना नहीं की गई क्योंकि ...

जरूरी थी । कब्जा कभी रेस्पोडेन्ट का नहीं रहा है। प्रीतम सिंह की पत्नी व पुत्रीयों के होते हुए वह अपने भतीजों के हक में वसीयत करे कानूनन यह सम्भव नहीं था तथा ना ही वास्तव में प्रीतम सिंह ने कभी कोई वसीयत रेस्पोडेन्ट सख्या 2–3 के हक में की गई। तथाकथित वसीयत कूटरचित बनाई गई है तथा इस के बारे में अलग से फौजदारी कार्यवाही की जावेगी। कथित वसीयत किसी प्रकार से किसी उप पंजीयक अथवा जिला पंजीयक से रजि0 होने का भी नहीं बताया गया है इस प्रकार से ऐसी कथित वसीयत किसी प्रकार से कूट रचना करके बनाई जा सकती है। अदालत मातहत ने वसीयत के बारे में सत्यता के बार में कोई जांच नहीं की कानूनन वसयीत के गवाहान हाथिया तथा लेखक को बुलाकर बयान लिए जाते मगर इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। कथित वसीयत के बारे में किसी प्रकार से सक्षम न्यायालय सिविल न्यायालय से कोई प्रोबेट भी हासिल नहीं किया गया। अतः बिना इसके भी कथित वसीयत के बारे में कार्यवाही नहीं की जा सकती था ना ही इन्तकाल किया जा सकता था क्योंकि वसीयत की सत्यता के बारे में जांच करने का अधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय को ही है। अदालत मातहत को ऐसा अधिकार ना होने से भी इन्तकाल बिना अधिकार के ही किया गया है। प्रीतम सिंह की संगरिया व सादूलशहर के अन्य चको की भूमि के बारे में इन्तकाल विरास्त होकर अपीलान्टस के नाम से होकर रकबा उनके नाम से दर्ज हो चुका है जिसका समस्त रिकॉर्ड अपील के साथ पेश किया जा रहा है। अतः यदि वास्तव में कोई वसीयत की जाती तो रेस्पोडेन्ट 2–3 अन्य चको की भूमि का इन्तकाल भी करवाते मगर ना तो करवाया ना ही आपत्ति की गई। आराजी जददी जायदाद होने से प्रीतम सिंह को कानूनन वसीयत करने का कोई हक नहीं था ना ही वास्तव में उसने कोई वसीयत कभी की गई। अतः कथित वसीयत रकबा हडपने की नियत से कूटरचित बनाई गई है। लिहाजा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर इन्तकाल जेर अपील को निरस्त करने का हुकम फरमाया जावे। दिनांक 01.06.2018 को अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्टस द्वारा आपके न्यायालय में उपरोक्त अनवानी अपील, इन्तकाल सख्या 71 दिनांक 04.12.1991 तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर, जिसके द्वारा तथाकथित वसीयत के आधार पर चक 30 एम.जे.डी. का 20 बीघा रकबा अंकित किया गया है, अपीलान्टस के चक 30 ए.एम.पी. में स्थित रकबा खाता सख्या 17/16, 404/3 अर्थात 6 बीघा 14 बिस्वा का इन्तकाल रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज कर दिया गया, के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। अपीलांटस के पति व पिता प्रीतम सिंह पुत्र हरदास सिंह जाति जटसिख के नाम तहसील सादुलशहर के चक 30 ए.एम.पी. में 6 बीघा 14 बिस्वा रकबा था। चक 30 एम.जे.डी. में मृतक प्रीतम सिंह पुत्र हरदास सिंह के नाम कोई रकबा दर्ज नहीं था, न ही प्रीतम सिंह के भाईयों मुखत्यार सिंह, वीरसिंह अथवा प्रीतम सिंह के दादा दुलचा सिंह के नाम कोई रकबा चक 30 एम.जे.डी. में कभी रहा। अपील प्रस्तुत करते समय सहवन से अपील के मुख्य पृष्ठ पर अपील के विषय व प्रथम पृष्ठ में लाईन नम्बर 3,9 में सहबन से चक 30 ए.एम.पी. के स्थान पर चक 30 एम.जे.डी. दर्ज हो गया, जबकि अपीलान्टस के रकबा 404/3 हिस्सा में से अर्थात 6 बीघा 14 बिस्वा का इन्तकाल तथाकथित वसीयत के आधार पर , जिसमें चक 30 एम.जे.डी. का रकबा 20 बीघा का दर्ज किया हुआ है, अपीलान्टस संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज कर दिया गया। इसलिये इस टंकणीय भूल को संशोधित करना आवश्यक है। इससे अपील की नोईयत पर कोई प्रभाव नहीं पडता। अपीलान्टस चक 30 एम.जे.डी. का सम्वत् 2036–2040, 2041–2045 व

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

जाति जटसिख के नाम कोई रकबा न होने की तस्दीक प्रस्तुत कर रहा है जो कि इस अपील के उचित निर्णय के लिये आवश्यक है। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त संशोधन अपील के मुख्य पृष्ठ पर अपील के विषय व प्रथम पृष्ठ की लाईन नम्बर 3 व 9 में लाल स्याही से चक 30 एम.जे.डी. के स्थान पर 30 ए.एम.पी. अंकित किया जावें।

अपीलार्थिया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर तदनुसार अपील के मूलभूत में यथास्थान वांछित संशोधन लाल स्याही से अंकित करने के आदेश दिये गए।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि इन्तकाल जेर अपील के अवलोकन मात्र से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यह गलत किया गया है तथा किसी प्रकार से कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। क्योंकि इन्तकाल के खाना नम्बर 14 में किसी प्रकार से किसी आदेश जिसके आधार पर इन्तकाल किया गया हो के बारे में कुछ अंकित नहीं किया गया है जबकि कानूनी प्रक्रिया अपनाए जाने पर सर्वप्रथम मृतक प्रीतम सिंह के वारिसान अपीलान्टस को शोकाज नोटिस दिया जाकर बुलाया जाना, सुना जाना व साक्ष्य आदि लेकर पहले इन्तकाल करने का आदेश पारित करना तथा उसके बाद ही इन्तकाल दर्ज करने पर तस्दीक किया जा सकता है। मगर प्रस्तुत मामले में पटवारी ने इन्तकाल दिनांक 20.11.1991 को दर्ज किया व आई.एल.आर. ने दिनांक 25.11.1991 को मिलान करने का दर्ज किया व दिनांक 04.12.1991 को तस्दीक कर दिया गया इससे ही यह स्पष्ट है कि कोई आपत्ति नोटिस जारी नहीं किया गया ना किसी प्रकार से इस प्रकार के नोटिस की तामील हुई तथा ना ही किसी समचार पत्र में नोटिस आपत्ति प्रकाशित करवाया गया। अतः कोई भी कानूनी व न्यायिक प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है। अदालत मातहत ने इन्तकाल नियमों की भी पालना नहीं की क्योंकि इन्तकाल नियमों के अनुसार भी यह आवश्यक था कि मृतक व्यक्ति जिसकी सम्पति का इन्तकाल किसी कथित वसीयत के आधार पर किया जाता है तो भी मृतक के समस्त वारिसान के बारे में पटवारी हल्का से तस्दीक मंगवा कर उनको नोटिस जारी करना व उनको कथित वसीयत के बारे में सुनकर ही आदेश पारित किया जा सकता है मगर प्रस्तुत मामले में ऐसा भी नहीं किया गया है। इन्तकाल करने से पूर्व लैण्ड रिकॉर्ड रूलस के आदेशात्मक प्रावधानों की भी पालना नहीं की गई क्योंकि कब्जा के बारे में जांच करवाई जानी जरूरी थी । कब्जा कभी रेस्पोडेन्ट का नहीं रहा है प्रीतम सिंह की पत्नी व पुत्रीयों के होते हुए वह अपने भतीजों के हक में वसीयत करे कानूनन यह सम्भव नहीं था तथा ना ही वास्तव में प्रीतम सिंह ने कभी कोई वसीयत रेस्पोडेन्ट सख्या 2–3 के हक में की गई। तथाकथित वसीयत कूटरचित बनाई गई है तथा इस के बारे में अलग से फौजदारी कार्यवाही की जावेगी। कथित वसीयत किसी प्रकार से किसी उप पंजीयक अथवा जिला पंजीयक से रजि0 होने का भी नहीं बताया गया है इस प्रकार से ऐसी कथित वसीयत किसी प्रकार से कूट रचना करके बनाई जा सकती है। अदालत मातहत ने वसीयत की सत्यता के बार में कोई जांच नहीं की। कानूनन वसयीत के गवाहान हाथिया तथा लेखक को बुलाकर बयान लिए जाते मगर इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। कथित वसीयत के बारे में किसी प्रकार से सक्षम न्यायालय सिविल न्यायालय से कोई प्रोबेट भी हासिल नहीं किया गया। अतः बिना इसके भी कथित वसीयत के बारे में कार्यवाही नहीं की जा सकती था ना ही इन्तकाल किया जा

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

सिविल न्यायालय को ही है। अदालत मातहत को ऐसा अधिकार ना होने से भी इन्तकाल बिना अधिकार के ही किया गया है। प्रीतम सिंह की संगरिया व सादूलशहर के अन्य चको की भूमि के बारे में इन्तकाल विरास्त होकर अपीलान्टस के नाम से होकर रकबा उनके नाम से दर्ज हो चुका है जिसका समस्त रिकॉर्ड अपील के साथ पेश किया जा रहा है। अतः यदि वास्तव में कोई वसीयत की जाती तो रेस्पोडेन्ट 2–3 अन्य चको की भूमि का इन्तकाल भी करवाते मगर ना तो करवाया ना ही आपत्ति की गई। आराजी जददी जायदाद होने से प्रीतम सिंह को कानूनन वसीयत करने का कोई हक नहीं था ना ही वास्तव में उसने कोई वसीयत कभी की **गई।** अतः कथित वसीयत रकबा हडपने की नियत से कूटरचित बनाई गई है। वसीयतकर्ता प्रीतम सिंह का देहान्त दिनांक 05.11.1988 को हो गया था तो वसीयत 12.09.1991 में किस आधार पर हुई। इससे स्पष्ट है कि कूटरचित जो वसीयत बनाई गई वह फर्जी है। अतः इसके आधार पर दर्ज किया गया इन्तकाल निरस्त फरमाया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने का आदेश फरमाया जावें। अधिवक्ता अपीलार्थी ने दौराने बहस निम्न नजीरे पेश कीः–

1. आर.आर.डी. 1999 पेज–173
2. आर.आर.डी. 1995 पेज–124
3. आर.आर.डी. 1999 पेज–309
4. आर.बी.जे. (5)1998 पेज–43
5. आर.बी.जे. (2)1995 पेज–367
6. आर.बी.जे. (5)1998 पेज–605
7. आर.बी.जे.(24)2017 पेज–10

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 को बार–बार आवाजे लगाई गई। उपस्थित नही हुए है।

अपीलार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया। अपीलान्ट संख्या 01 के पति व 2–3 के पिता स्व. प्रीतम सिंह पुत्र हरदत सिंह के नाम तहसील सादुलशहर व संगरिया तहसील के विभिन्न चकों की भूमि दर्ज कागजात राज थी जो कि उसको उसके पिता स्व. गुरदत सिंह पुत्र दरबारा सिंह से मिली हुई थी। आराजी जद्दी जायदाद होने से प्रीतम सिंह को कानूनन वसीयत करने का कोई हक नहीं था ना ही वास्तव में उसके द्वारा कोई वसीयत कभी अपने जीवन काल में करना पाया जाता है। अपीलार्थीया के पति का देहान्त दिनांक 05.11.1988 को हो गया जिस पर विरासत इन्तकाल से विभिन्न चको की भूमि उसके नाम से दर्ज हो गई। प्रीतम सिंह की संगरिया व सादुलशहर के अन्य चको की भूमि के बारे में इन्तकाल विरास्त होकर अपीलान्टस के नाम से रकबा उनकी खातेदारी में दर्ज हो चुका है जिसका समस्त रिकॉर्ड अपील के साथ पेश किया गया है। चक 30 ए.एम.पी. तहसील सादुलशहर की भूमि का इन्तकाल सख्या 71 दिनांक 02.12.1991 को रेस्पोडेन्ट सख्या 2 व 3 के नाम जिस कथित वसीयत से दर्ज हुआ है उक्त वसीयत 12.09.1991 को रजिस्टर्ड हुई है। उक्त वसीयत वसीयतकर्ता प्रीतम सिंह की मृत्यु के पश्चात रजिस्टर्ड हुई जो निश्चित रूप से सद्भावी नहीं है। माननीय उच्चतम राजस्व न्यायालयों यथाः राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर तथा उपखण्ड अधिकारी संगरिया द्वारा , प्रकरण से सम्बन्धित दिए गए निर्णयों में भी इसी तथ्य को इंगित किया गया है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

किया गया है। दिनांक 05.11.1988 को वसीयतकर्ता प्रीतम सिंह का ग्राम पंचायत सिंहपुरा पंचायत समिति संगरिया के रजिस्ट्रर जन्म –मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीयन दिनांक 20.07.2011 के मुताबिक देहान्त को हो चुका था। लिहाजा इस वसीयत, जो दिनांक 12.09.1991 को पंजीबद्व की गई है, के आधार पर दर्ज किया गया नामान्तरकरण 71 दिनांक 02.12.1991 निरस्ती योग्य है। अपील ...

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानी स्वीकार करते हुए चक 30 ए.एम.पी. के इन्तकाल स्वीकृत सख्या 71 दिनांक 02.12.1991 को निरस्त किया जाता है तहसीलदार सादुलशहर को आदेश दिया जाता है कि वह मृतक प्रीतम सिंह की चक 30 ए.एम.पी.तहसील सादुलशहर की भूमि का विरासतन नातान्तरकरण उसके वैद्य उत्तराधिकारीयों के नाम भरकर बाद तस्दीक राजस्व रिकॉर्ड में अमलदारमद करें । रेस्पोडेन्ट संख्या 02–03 तथाकथित वसीयत की वैद्यता के सम्बन्ध में चाराजोही सम्बन्धित न्यायालय में करने हेतु स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 01.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01/6/2018

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।